समक्ष सदस्य राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

R-2682-III/14

1. रामाधार पटेल तनय स्व. बुद्धसेन पटेल,
2. रामाश्रय पटेल तनय स्व. बुद्धसेन पटेल,
3. रामभुवन पटेल तनय स्व. बुद्धसेन पटेल,
4. राममिलन पटेल तनय स्व. बुद्धसेन पटेल,
5. रामसेवक पटेल तनय स्व. बुद्धसेन पटेल,

सभी निवासी ग्राम धरभरा, थना शाहपुर तहसील हनुमना जिला रीवा म. प्र. .... **आवेदकगण / निगरानीकर्तागण**

बनाम्

1. रूपनारायण गौतम तनय श्री लोलाराम गौतम, साकिन ग्राम गौरी, थाना शाहपुर तहसील हनुमना जिला रीवा म. प्र....... **अना. / गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी विरूद्ध सीमांकन पुष्टीकरण आदेश, न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा म. प्र. दिनांक 18.06. 2014 जरिए प्रकरण क्र. 11अ 12/13–14 बावत भूमि खसरा क्र. 5/2, 6/2 स्थित ग्राम धरभरा थाना शाहपुर तहसील हनुमना जिला रीवा, निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) म. प्र. भू. रा. संहिता वर्ष 1959।

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण

(क)– गैरनिगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम धरभरा शाहपुर तहसील हनुमना स्थित भूमियॉं खसरा क्र. 5/2 रकवा 1.150 हे., 6/2/0.745 हे. के सीमान्कन हेतु आवेदनपत्र माह जून वर्ष 2014 में प्रस्तुत किया। निर्विवाद रूप से आवेदकगण भूमि खसरा क्र. 5/1,, 6/1क, 6/1ख के अभिलिखित भूमिस्वामी हैं, जो खसरा क्र. 5/2 एवं 6/2 से संलग्न भूमियॉं हैं तथा आवेदकगण आवेदित भूमियों के सरहद्दी काश्तकार हैं। किन्तु अनावेदक द्वारा बिना उन्हें सूचना दिए व पक्षकार मुकदमा बनाए मनमानी ढन्ग से नाप–जोख गलत नक्शा तर्मीम के आधार पर करवाया गया तथा उसकी पुष्टि भी आदेश दिनांक 18.06. 2014 के जरिए कर दी गई। सीमान्कन पुष्टिकरण आदेश की जानकारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[redacted] क्रमांक R2682-II/14 जिला–रीवा

रामाधार पटेल/ रूपनारायण गौतम

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामबहोर पटेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी **राजस्व निरीक्षक,** वृत्त पहाड़ी, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 14/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 18.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत **राजस्व निरीक्षक** द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। **(महेशचन्द्र चौधरी),** सदस्य	